



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

आवंटनादेश सं.-08/वि.स्था.आ.(वज्रपात)-07/2024/आंप्र०-52(आ.), राँची दिनांक-09.09.2025

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा, आंप्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
चतरा एवं खूँटी।

विषय – वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा-वज्रपात से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु आश्रित/लाभुक को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के निमित्त राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से कुल 16,57,500/- (सोलह लाख सन्तावन हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग – विभागीय स्वीकृत्यादेश सं.-77(स्वी.) दिनांक-24.06.2025

महाशय,

उक्त आवंटित राशि वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-338/बजट, दिनांक-28.03.2025 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्यशीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-11-वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-11-00-06-79	16,57,500/- (सोलह लाख सन्तावन हजार पाँच सौ) रुपये मात्र।

2. यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक-21.05.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय-02 के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :-

"विभागीय संकल्प सं०-1055, दिनांक-11.09.2015 के आलोक में राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा-वज्रपात से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु आश्रित/लाभुक को अनुग्रह अनुदान भुगतान के निमित्त जिलों को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि 21,00,00,000/- (इक्कीस करोड़) रुपये का व्यय करने के प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। राशि का आवंटन संबंधित जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं आवश्यकता के अनुरूप दिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यशीर्ष-2245 अन्तर्गत उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष-11-वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड-39-S-2245-80-102-11-00-06-79) में कुल 35.00 (पैंतीस) करोड़ रुपये की राशि उपबंधित है।" जिलावार आवंटित राशि का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	चतरा	57,500
2	खूँटी	16,00,000
	कुल	16,57,500

- गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु तत्समय निर्गत प्रभावी मद एवं मापदण्ड के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा-वज्रपात से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु अनुग्रह अनुदान लाभुकवार आवंटित की जायेगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में उपायुक्त के द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा संबंधित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद-मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।
- (क) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मानकों एवं मद-मानदण्ड के अनुरूप अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जायेगी।
 - मृतक का पोस्टमॉर्टम प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संधारित किया जाय।
 - मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख का अंग होगा।
 - वज्रपात से मृत्यु का स्पष्ट साक्ष्य होना अनिवार्य होगा।
 - वैध लाभुक को ही राशि का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - अभिलेख में EPIC/Aadhar/Bank Account का सही ब्यौरा संधारण किया जायेगा।
- अनुग्रह अनुदान का भुगतान आश्रित/लाभुक के बैंक खाते में NEFT/RTGS/DBT के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार भौतिक सत्यापन के आधार पर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे कि राशि का भुगतान वास्तविक आश्रित/लाभुक को ही हो रहा है एवं आश्वस्त हो लेंगे कि अनुग्रह अनुदान भुगतान में दुहराव नहीं हो रहा है।
- उपायुक्त के कार्यालय में अभिलेखों को नियमानुसार संधारित किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक लाभुक का पूर्ण विवरण, भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, वज्रपात से मृत्यु/घायल का पूर्ण साक्ष्य यथा - पोस्ट मार्टम प्रतिवेदन, मृत्यु प्रमाण-पत्र/चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा भुगतान की विवरणी उपलब्ध हो। उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु संरक्षित रखा जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी को रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
11. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-1 एवं 2 में पूर्ण विवरण विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-604 दिनांक-18.05.2015 के प्रपत्र डी०एम०-5 में विभाग को व्यय विवरण समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि का प्रत्यर्पण वर्षांत के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व संबंधित उपायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
13. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-33-06/2015-NDM-I, दिनांक-06.05.2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार मासिक व्यय विवरण विभाग को संबंधित उपायुक्त द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
14. आवंटित राशि व्यय के पश्चात् विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित उपायुक्त के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
15. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
16. महालेखाकार से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
17. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016, वित्त नियमावली, वित्त विभाग तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा समय-समय पर तत्संबंधी निर्गत विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
18. स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर) विभाग/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
19. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश के सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
09/09/25

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव।

राँची दिनांक-09.09.2025

ज्ञापांक:-08/वि.स्था.आ.(वज्रपात)-07/2024/आ०प्र०- 52(आ०),
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/विभागीय सचिव कोषांग, आपदा प्रबंधन प्रभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-08/अवर सचिव, प्रशाखा-12 (स्टेट पोर्टल पर अपलोड हेतु), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/09/25
सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management D

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 07/2024/52(AA)

दिनांक - 09-Sep-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 39 22458010211000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं 11 - वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	57516	CTRDAD003 KEERTHISHREE G D.C. CHATRA 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	57,500.00 रुपये सत्तावन हजार पाँच सौ
2	S 39 22458010211000679 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80 - सामान्य 102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं 11 - वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	57655	KHNDADK01 KOMAL KUMARI D.C.KHUNTI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1,600,000.00 रुपये सोलह लाख

योग: रुपये सोलह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ
क्रमिक योग:

1,657,500.00

(RAJESH KUMAR SHARMA)

SECRETARY